अनुदान संख्या 43 – प्रत्यक्ष कर
GRANT No. 43–DIRECT TAXES

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*2,00*	. .	*–2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*1,17*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1145,96,00				
				1169,91,00	1147,19,21	–22,71,79
पूरक	Supplementary	23,95,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					24,08
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			102,00,00	37,85,63	- 64,14,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					55,54,17

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *2.00 लाख* रु. का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "2020'' - "आय और व्यय पर करों का संग्रहण'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (2271.79 लाख रु.) मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 2395.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 95 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation of Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2020" – "Collection of Taxes on Income and Expenditure".

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.2271.79 lakhs) constituted 95 percent of the supplementary grant of Rs.2395.00 lakhs obtained in March, 2005 and 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/ excess occurred under the following major head:-

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2020'' आय और व्यय पर करों का संग्रहण	Major Head "2020" Collection of Taxes on Income and Expenditure				
मू.	O.	104798.00			
पू.	S.	2395.00	107168.92	104732.00	-2436.92
पु.	R.	–24.08			

(I) 10.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.10.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) ''संग्रहण प्रभार - आय कर - आयुक्त तथा उनके कार्यालय'' के अंतर्गत 108036.75 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1139.51 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 109176.26 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 3314.52 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) व्यापक कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अधिप्राप्त किए जा रहे कंप्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के लिए पूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं को अदायगी न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under "Collection charges - Income Tax - Commissioners and their offices" – the original provision of Rs.108036.75 lakhs was augmented to Rs.109176.26 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1139.51 lakhs. However, there was a saving of Rs.3314.52 lakhs (including supplementary grant) due to non-payment to suppliers/vendors of computer hardware/software being procured under the comprehensive computerisation programme.

(III) ''निदेशन और प्रशासन - अन्वेषण'' के अंतर्गत 204.43 लाख रु. की बचत (0.48 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 913.56 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(III) Under "Direction and Administration - Investigation" - saving of Rs.204.43 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.913.56 lakhs including supplementary grant of Rs.0.48 lakh) was due to non-filling up of vacant posts.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 99.97 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत थी।

(IV) Under one head saving of Rs.99.97 lakhs occurred constituting 18 percent of the sanctioned provision.

3. उपर्युक्त बचतें ''निदेशन और प्रशासन'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

3. The above savings were partly offset by excess under "Direction and Administration" - under the following heads:-

(I) ''अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रकाशन''- 185.68 लाख रु. का अधिक व्यय (397.34 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 2811.02 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना

(I) "Research, Statistics and Publication"- excess of Rs.185.68 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2811.02 lakhs including supplementary grant of Rs.397.34 lakhs) was due

में) मुद्रण कार्यों से संबंधित विभिन्न सरकारी मुद्रणालयों के बिलों का समाशोधन किए जाने और साथ ही पीएएन(पेन) की वैधानिक आवश्यकता के संबंध में केंद्रीय रूप से प्रचार किए जाने और कर का दायरा बढ़ाने तथा कर अपवंचन रोकने के लिए किए जा रहे गहन प्रचार अभियान पर व्यय होने के कारण हुआ।

to clearance of bills of various Government Presses in respect of printing jobs and also due to central publicity relating to legal requirement of PAN and on account of expenditure on the on-going intensive publicity campaign for widening of tax and prevention of tax evasion.

(II) ''संगठन और प्रबंधन सेवाएं''- 1101.56 लाख रु. का अधिक व्यय (754.58 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1533.30 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम, वार्षिक अनुरक्षण संविदा और क्षेत्रीय इकाइयों के बहिःस्रोत से आंकड़ा प्रविष्टि कार्य किए जाने के कारण हुआ।

(II) "Organisation and Management Services"- excess of Rs.1101.56 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1533.30 lakhs including supplementary grant of Rs.754.58 lakhs) was due to computerisation programme, annual maintenance contract and outsourcing data entry work of field units.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4059'' लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	8000.00	4100.00	3630.49	–469.51
पु.	R.	–3900.00			
मुख्य शीर्ष ''4216'' आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	2000.00	400.00	42.71	–357.29
पु.	R.	–1600.00			

(I) मुख्य शीर्ष ''4059'' - ''कार्यालय भवन - अन्य व्यय - तैयार निर्मित आवास का अधिग्रहण'' के अंतर्गत 4369.51 लाख रु. की बचत (8000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलन में) हुई; और

(I) Under Major Head "4059"- "Office Buildings - Other Expenditure- Acquisition of Ready built Accommodation"- saving of Rs.4369.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8000.00 lakhs); and

(II) मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन - आयकर कर्मचारियों के लिए रिहायशी भवन - तैयार निर्मित फ्लैटें का अधिग्रहण'' के अंतर्गत 1957.29 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें तैयार निर्मित कार्यालय/रिहायशी आवास की खरीद के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 87.57 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 44 प्रतिशत थी।

(II) Under Major Head "4216"- "Government Residential Buildings - Residential Buildings for Income Tax Employees - Acquisition of Ready built Flats"- saving of Rs.1957.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-completion of procedural requirements for purchase of Ready Built Office/Residential Accommodation.

(III) Under one head saving of Rs.87.57 lakhs occurred constituting 44 percent of the sanctioned provision.